ACM आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

सुनील बनाम पप्पू

न्यायालय TC
संख्या 75/24

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	09/1/2026	पत्रावली प्रस्तुत। व.के.उप.। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश दिनांक 13/1/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	13/1/26	पत्रावली प्रस्तुत। व.के.उप.। समयाभाव के कारण आदेश प्रसारित नहीं किये गये अतः साबित आदेशानुसार वास्ते आदेश दिनांक 22/01/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	22/1/2026	पत्रावली प्रस्तुत। व.के.उप.। विश्लेषण और न्यायहित को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि वाके ग्राम दुर्गा का बास के ख.नं. 223 में उभयपक्ष मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 75/2024

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 16.10.2024

1. सुनील कुमार पुत्र श्री पप्पू उर्फ रामलाल
2. रोहित पुत्र श्री पप्पू उर्फ रामलाल
3. बाबूलाल पुत्र श्री पप्पू उर्फ रामलाल समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम दुर्गा का बास तहसील जालसू जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. पप्पू उर्फ रामलाल पुत्र मालू जाति अहीर निवासी ग्राम दुर्गा का बास तहसील जालसू जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

4. जीवण पुत्र मालू
5. प्रभाती देवी पत्नी नाथूलाल
6. मनभरी देवी पत्नी मालीराम
7. मुरली पत्नी रामलाल
8. लाडा देवी पत्नी मंगलचन्द

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम दुर्गा का बास तहसील जालसू जिला जयपुर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री मोहनलाल जाट – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
(2) श्री सुनिल सैनी – अधिवक्ता अप्रार्थी 9 ता 12 की ओर से

निर्णय दिनांक 22.01.2026

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि राजस्व ग्राम दुर्गाकाबास, पटवार क्षेत्र दुर्गाकाबास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर में कृषि भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या नया 50 पुराना 45 के खसरा नम्बर 223 रकबा 0.5600 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.5600 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हिस्सा 25/56 दर्ज व अंकित है। उक्त मद में वर्णित भूमि को आगे के मदो में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। मद नम्बर में वर्णित आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 25/56 में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हक व हिस्सा निहीत हैं। 5. यह कि अप्रार्थी नम्बर 1 प्रार्थीगण को उक्त भूमि से भू–माफिया व्यक्तियों से मिलकर प्रार्थीगण को उनके हक व अधिकारो से महरूम रखने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

उद्देश्य से खुर्द–बुर्द व बैचान करने पर उतारू हैं। जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 प्रार्थीगण के हक व अधिकार की पैतृक भूमि में निहीत हिस्से को खुर्द बुर्द करता है तो प्रार्थीगण की ओर से उक्त्त वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही फौत हो जायेगा, तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित चली आ रही हैं। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने पर उतारू हो रहा हैं। जिसके लिये अप्रार्थी संख्या 1 कुछ अजनबी व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त भूमि पर आया तथा उन्हें भूमि दिखाने लगा, जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ आये लोगों का कारण पूछा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि मैं उक्त भूमि को इनको विक्रय करूंगा। जिस पर प्रार्थीगण ने एतराज किया तो अप्रार्थी संख्या 1 आग बबूला हो गया तथा प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच करते हुये एलानियां धमकी देने लगा कि मैं शीघ्र ही उक्त भूमि को इनको विक्रय कर भूमि को खुर्द बुर्द करके रहूँगा तुम्हें जो करना हो वह कर लो। दिनांक 02/10/2024 को प्रार्थीगण वादअधीन कृषि भूमि पर काश्त कर रहे थे तब अप्रार्थी संख्या 1 अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ मौके पर आया और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत एंव मजाहमत करने का असफल प्रयास किया और अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी कि मैं उक्त सम्पूर्ण आराजीयात को बैचान दीगर व्यक्तियों को करेगें, और तुम्हें मौके से जबरन बेदखल कर क्रेतागण का उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करायेगें। तुम्हारा उक्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार नही हैं। इसलिये दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी नम्बर 1 प्रार्थीगण को उक्त भूमि से भू–माफिया व्यक्तियों से मिलकर प्रार्थीगण को उनके हक व अधिकारो से महरूम रखने

के उद्देश्य से खुर्द–बुर्द व बैचान करने पर उतारू हैं। जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 प्रार्थीगण के हक व अधिकार की पैतृक भूमि में निहीत हिस्से को खुर्द बुर्द करता है तो प्रार्थीगण की ओर से उक्त्त वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही फौत हो जायेगा, तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित चली आ रही हैं। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने पर उतारू हो रहा हैं। जिसके लिये अप्रार्थी संख्या 1 कुछ अजनबी व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त भूमि पर आया तथा उन्हें भूमि दिखाने लगा, जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ आये लोगों का कारण पूछा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि मैं उक्त भूमि को इनको विक्रय करूंगा। जिस पर प्रार्थीगण ने एतराज किया तो अप्रार्थी संख्या 1 आग बबूला हो गया तथा प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच करते हुये एलानियां धमकी देने लगा कि मैं शीघ्र ही उक्त भूमि को इनको विक्रय कर भूमि को खुर्द बुर्द करके रहूँगा तुम्हें जो करना हो वह कर लो। दिनांक 02/10/2024 को प्रार्थीगण वादअधीन कृषि भूमि पर काश्त कर रहे थे तब अप्रार्थी संख्या 1 अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ मौके पर आया और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत एंव मजाहमत करने का असफल प्रयास किया और अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी कि मैं उक्त सम्पूर्ण आराजीयात को बैचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:45 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

दीगर व्यक्तियों को करेगें, और तुम्हें मौके से जबरन बेदखल कर क्रेतागण का उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करायेगें। तुम्हारा उक्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार नही हैं। इसलिये दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण अगर अपने मनसूबों में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अतुलनिय क्षति कारित होगी। जिसकी क्षति पूर्ति भविष्य में संभव नहीं होगी। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के आधार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में वखूबी साबित हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावें कि, राजस्व ग्राम दुर्गाकावास, पटवार क्षेत्र दुर्गाकावास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में कृषि भूमि जमावन्दी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या नया 50 पुराना 45 के खसरा नम्वर 223 रकवा 0.5600 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकवा 0.5600 हैक्टेयर अथवा इसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से बैचान हस्तान्तरण, अनुबन्ध, वख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने एंव आम व खास मुखत्यार नियुक्त करने से निषेद्य रहें तथा किसी भी प्रकार कोई लेख्य पत्र तस्दीक एंव पंजीयन करने से निषेद्ध रहें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा, हस्तक्षेप, मजाहमत, मदाखलत करने से निषेद्ध रहें तथा अपने–अपने परिवारजन, एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्य रखे तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनायीं रखें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 9 ता 12 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत कर अंकित किया कि यह कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर वाद गलत तथ्यो के आधार पर पेश करना स्वीकार है वाद में सफलता की आशा मात्र कारी कल्पना है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 2 में जिस प्रकार से वर्णित किया है भूमि खसरा नम्बर 223 वाके ग्राम दुर्गाकाबास तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित होना स्वीकार है। तथा शेष तथ्य वादी स्वयं साबित करे परन्तु यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 223 में से उत्तरदाता के पिता घासीराम ने पप्पू पुत्र मालू से 1/2 भाग [illegible] विक्रय पत्र क्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उपपंजीयक [illegible] के समक्ष निष्पादित किया हुआ है। जिस पर पूर्व में उत्तरदता के पिता व वर्तमान में उत्तरदाता काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उत्तरदाता के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। तथा उत्तरदाता घासीराम सैनी के विधिक वारिस उत्तराधिकारी हैं। प्रार्थना पत्र का नम्बर 3 जिस प्रकार से वर्णित किया है उक्त आराजी किसी प्रकार से विवादित नही है तथा वादी उत्तरदाता से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:45 IST
Reason: SelfAttested

जिस प्रकार से वर्णित किया है उत्तरदाता से सम्बंधित नही है प्रार्थी स्वयं साबित करे। ा पत्र का मद नम्बर 5 जिस प्रकार से वर्णित किया है उत्तरदाता से सम्बंधित नही है उक्त द में समस्त कथन प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या बनावटी अंकित किये है परन्तु यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 223 में से उत्तरदाता के पिता घासीराम ने पप्पू पुत्र मालू से 1/2 भाग जरिये रजिस्टंड विक्रय पत्र क्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उपपंजीयक आमेर जयपुर के समक्ष निष्पादित किया हुआ है। जिस पर पूर्व में उत्तरदता के पिता व वर्तमान में उत्तरदाता काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उत्तरदाता के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। तथा उत्तरदाता घासीराम सैनी के विधिक वारिस उत्तराधिकारी हैं। प्रार्थना पत्र का मद 6 जिस प्रकार से वर्णित किया है उत्तरदाता से सम्बंधित नही है परन्तु यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 223 में से उत्तरदाता के पिता घासीराम ने पप्पू पुत्र मालू से 1/2 भाग जरिये रजिस्र्टड विक्रय पत्र क्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उपपंजीयक आमेर जयपुर के समक्ष निष्पादित किया हुआ है। जिस पर पूर्व में उत्तरदता के पिता व वर्तमान में उत्तरदाता काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उत्तरदाता के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। तथा उत्तरदाता घासीराम सैनी के विधिक वारिस उत्तराधिकारी हैं। तथा अप्रार्थी संख्या के नाम राजस्व रिकॉर्ड में कोई भूमि अंकित नही है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 7 जिस प्रकार से वर्णित किया है समस्त कथन मिथ्या बनावटी दर्ज किये है वादीगण को उत्तरदाता से कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है तथा उक्त वाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या द्वारा आपसी षडयंत्र कर पेश किया गया है उक्त वाद पेश करने का एक मात्र वादीगण द्वारा उत्तरदाता को हैरान व परेशान करने मात्र का रहा है। इसलिये वादीगण का वाद वादकारण के अभाव में काबिले खारिज है तो प्रार्थना पत्र स्वतः ही काबिले खारिज है। यह कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 8 जिस प्रकार से वर्णित किया समस्त कथन मिथ्या बनावटी दर्ज किये है प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या ने आपसी साज कर भूमि को विवादित करने व उत्तरदाता को हैरान व परेशान करने के आशय से पेश किया है इसलिये वादी का वाद मय प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 9 जिस प्रकार से वर्णित किया है समस्त कथन मिथ्या बनावटी दर्ज किये है प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वाद में वर्णित आराजीयात को उत्तरदाता के पिताको पूर्व में ही विक्रय कर दिया है तथा वादीगण को अपने पिता के जीवित रहते किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है ना ही विभाजन करवाने के अधि[illegible] इसलिये वाद व प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 10 जिस प्रकार [illegible]त किया है समस्त कथन मिथ्या बनावटी दर्ज किये है वादीगण द्वारा उत्त[illegible] अप्रत्यक्ष रूप से विक्रय पत्र को चुनोती दी है तथा विक्रय पत्र को शुन्य घोषित कर[illegible]का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को होने से उक्त वाद काबिले खारिज है प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 11 जिस प्रकार से वर्णित किया है समस्त कथन मिथ्या बनावटी दर्ज किये है वादीगण को

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:45 IST
Reason: SelfAttested

उत्तरदाता से कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है तथा उक्त वाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी षडयंत्र कर पेश किया गया है वाद पेश करने का एक मात्र वादीगण द्वारा उत्तरदाता को हैरान व परेशान करने मात्र का रहा है। इसलिये वादीगण का वाद वादकारण के अभाव में काबिले खारिज है तो प्रार्थना पत्र स्वतः ही काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र मद संख्या 11 व 12 जिस प्रकार से वर्णित किया है गलत होने से अस्वीकार है न तो प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है ना ही कोई अपूर्णीय क्षति का बिन्दू है उत्तरदातागण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन बखुबी साबित है। पार्थी विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। अतिरिक्त कथन में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजीयात के सम्बंध में गलत तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया है वादीगण के पिता/पति द्वारा भूमि उत्तरदाता को विक्रय की जा चुकी है तथा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पिता के जीवित रहते भूमि में किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारो की घोषणा विभाजन करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने आपसी कॉल्यूजन करते हुये उक्त वाद मय प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात के अलावा वादीगण के पिता के पास अन्य आराजी कृषि भूमि स्थित है व थी उसके सम्बंध में प्रार्थी द्वारा न तो वाद पेश किया है ना ही कोई घोषणा चाही गई है इससे स्पष्ट है कि उक्त वाद पत्र केवल उत्तरदातागण को मय प्रार्थना हैरान व परेशान की गरज से पेश किया गया है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा काबिले खारिज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उत्तरदाता का जवाब रिकोर्ड पर लिया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। प्रार्थीगण (सुनील कुमार व अन्य) ने मूल वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दुर्गाकाबास के खसरा नंबर 223 (रकबा 0.5600 हेक्टेयर) उनकी पैतृक एवं पारिवारिक संपत्ति है। प्रार्थीगण के पिता (अप्रार्थी संख्या 1) उक्त भूमि के सह–खातेदार हैं। प्रार्थीगण का तर्क है कि उनके पिता द्वारा भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने से उनके पैतृक हक व हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 9 से 12 (क्रेता पक्ष) ने अपने जवाब में सेल डीडी का हवाला दिया है कि दिनांक 18.11.2024 से पूर्व निष्पादित एक सेल डीड संलग्न की है, जिसके माध्यम से उन्होंने पप्पू (अप्रार्थी सं. 1) का हिस्सा क्रय किया है। प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी संवत 2080) प्रस्तुत किया है, जिसमें उक्त सेल डीड के अधि[illegible]सीराम जी का नाम बतौर खातेदार भी दर्ज हो चुका है। चूकि न्यायालय के समक्ष यह तथ्य विचारणीय है कि प्रार्थीगण ने उक्त संपत्ति को 'पैतृक संपत्ति' बताया है। हिंदू उत्तराधिकार कानून और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सिद्धांतों के अनुसार, यदि संपत्ति पैतृक है, तो सह–दायाद (Coparceners) का हक जन्मजात होता है। चूंकि वर्तमान में मुख्य वाद में पैतृक हक के निर्धारण का प्रश्न लंबित है, अतः इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

स्तर पर किसी भी प्रकार का नया बेचान या कब्जा परिवर्तन मामले को जटिल बना सकता है। हालांकि प्रतिवादीगण के पक्ष में सेल डीड और नामांतरण हो चुका है, किंतु राजस्व न्यायालय की यह जिम्मेदारी है कि वह मुकदमेबाजी के दौरान संपत्ति की स्थिति को यथावत रखे। यदि प्रतिवादीगण इस भूमि को आगे किसी तीसरे पक्ष को बेच देते हैं, तो "Lis Pendens" (लंबित वाद) का सिद्धांत लागू होगा और प्रार्थीगण को कभी न खत्म होने वाली कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा।यदि भूमि पर निर्माण कार्य कर दिया जाए या इसकी प्रकृति बदल दी जाए, तो प्रार्थीगण यदि भविष्य में जीतते भी हैं, तो उन्हें उनकी मूल पैतृक संपत्ति उस स्थिति में नहीं मिल पाएगी। यह प्रार्थीगण के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विश्लेषण और न्यायहित को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि वाके ग्राम दुर्गा का बास तहसील जालसू जयपुर के खसरा नंबर 223 के संबंध में उभय पक्ष मुख्य वाद के अंतिम निस्तारण तक मौके पर एवं राजस्व रिकॉर्ड में यथास्थिति बनाए रखेंगे। यह आदेश सरकारी योजनाओ के लाभ लेने पर लागू नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:45 IST
Reason: SelfAttested